

- “(iii) A “Limited Liability Partnership” formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2017

अधिसूचना

सं. 22/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-65/2017/वाक/पांच(117). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(81), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-
उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक “माल वाहक अभिकरण (जीटीए)” के पश्चात शब्द और अक्षर , जिसने 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान नहीं किया है,” अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

“(ड) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत “लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप” को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्रमांक एफ-10-65/2017/वाक/पांच(117). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-65/2017/वाक/पांच(117), दिनांक 22-08-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 22nd August 2017

NOTIFICATION

No. 22 /2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 65/2017/CT/V (117). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 13/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (81), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification,-

- (i) in the Table, against serial number 1, in column (2), after the words and brackets “goods transport agency (GTA)” the words and figure “, who has not paid state tax at the rate of 6%,” shall be inserted;
- (ii) in the Explanation, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-
 - “(e) A “Limited Liability Partnership” formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.